

कार्यालय, प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नं-02, भोपाल

दूरभाष क्रमांक-2552646,2552878 E-Mail-encwrbpl.mp.@nic.in

क्रमांक-33214100/1-6/2024(1) 2352

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2025

प्रति,

- | | |
|--|--|
| <p>(1) आयुक्त,
भू-अर्जन एवं पुर्नवास
बाणसागर परियोजना, जल
संसाधन विभाग, रीवा-(04) (मध्यप्रदेश)</p> | <p>(2) आयुक्त,
कमाण्ड क्षेत्र विकास
संचालनालय, जल संसाधन
विभाग, भोपाल-(33) (मध्यप्रदेश)</p> |
| <p>(3) समस्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,

(मध्यप्रदेश)</p> | <p>(4) समस्त मुख्य अभियंता,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

(मध्यप्रदेश)</p> |
| <p>(5) समस्त परियोजना संचालक,

पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग
----- (मध्यप्रदेश)</p> | <p>(6) वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय, प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल
(मध्यप्रदेश)</p> |

विषय:- मध्यप्रदेश सिंचाई (जलसंसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब की 34वीं अन्तर्क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता, रीवा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यालय-रीवा में दिनांक 14.12.2025 से 19.12.2025 में आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश सिंचाई(जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब का पत्र क्र.211/प्रा.अ./स्पोर्ट्स/ 2025-26 भोपाल दिनांक 15.11.2025

-----000-----


जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की 34वीं अन्तरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता दिनांक 14.12.2025 से 19.12.2025 तक मध्यप्रदेश सिंचाई(जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, रीवा क्षेत्रान्तर्गत रीवा मुख्यालय-रीवा में आयोजित की जा रही है।

2- इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त क्षेत्रीय स्पोर्ट्स क्लबों की टीमों के चयनित (अधिकारियों/कर्मचारियों) खिलाड़ियों को स्थानीय अभ्यास शिविर में भाग लेने हेतु दिनांक 01.12.2025 से 10.12.2025 तक (10 दिवसीय) 03:00 बजे (अपरान्ह) के पश्चात् कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जावे

03- मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक-28/1/31/सा/92 दिनांक 05.10.1992 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब की 34वीं अन्तरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता, रीवा क्षेत्रान्तर्गत रीवा मुख्यालय-रीवा में दिनांक 14.12.2025 से 19.12.2025 तक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जावे।

(2)

4- मुख्यालय-रीवा में आयोजित जा रही मध्यप्रदेश सिंचाई(जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब की 34वीं अन्तरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त क्षेत्रीय क्लबों के चयनित शासकीय (अधिकारियों/कर्मचारियों) खिलाड़ियों को अभ्यास शिविर एवं प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-एफ4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.04.2025 द्वारा पुनरीक्षित दरों पर दैनिक भत्ता,यात्रा भत्ता आदि प्रांतीय क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष/प्रांतीय महासचिव/प्रांतीय कार्यालयीन सचिव के प्रमाणीकरण के पश्चात् देय होगा।


(विनोद कुमार देवड़ा)

प्रमुख अभियंता

भोपाल दिनांक 25 नवम्बर, 2025

पृष्ठांकन क्रमांक-33214100/1-6/2024(1) 2353

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3- संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
- 4- समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग।
- 5- समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग।
- 6- कार्यपालन यंत्री एवम् आयोजक 34वीं अंतरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता, लाईट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकीय संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश। (164)
- 7- अनुविभागीय अधिकारी, उप-आयोजक 34वीं अंतरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता, लाईट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकीय उपसंभाग, सीधी, मध्यप्रदेश। (0663)
- 8- श्री मनीष मंडलिक, प्रांतीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब,कार्यालय,प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल-(01) (मध्यप्रदेश)।
- 9- श्री-----
मनोनीत सदस्य/पदाधिकारी,मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल,(मध्यप्रदेश)।
- 10- समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा एवं नर्मदापुरम द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल ।
- 11- वेब मैनेजर {EIMS}{कार्यपालन यंत्री}कार्यालय,प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल-(01) की ओर विभाग की वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टीप:- नियंत्रण अधिकारी की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी (मनोनीत पदाधिकारी/सदस्य/खिलाड़ियों) को अभ्यास शिविर एवं प्रतियोगिता में भाग हेतु विधिवत अनुमति प्रदान करें।


(आशीष महाजन)

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

